छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा   चतुर्थ सत्र   अंक-13

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2015

(फाल्गुन 29, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04, 06, 08, 09, एवं 11 से 14 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 05, 07 एवं 10 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री लालजीत सिंह राठिया, भैयाराम सिन्हा एवं खेलसाय सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 40 तारांकित एवं 43 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने घोषणा की कि- अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 19 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कोकपुर-आसरा-अडाम मार्ग निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को समय पर वेतन न मिलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
(3)	डॉ. विमल चोपड़ा
(4)	श्री देवजी भाई पटेल
(5)	श्री संतोष बाफना
(6)	डॉ. विमल चोपड़ा, सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, मोहन मरकाम
(7)	श्री मोतीलाल देवांगन
(8)	डॉ. प्रीतम राम, सर्वश्री बृहस्पत सिंह, पारसनाथ राजवाड़े
(9)	डॉ. खिलावन साहू
(10)	श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम
(11)	श्री टी.एस. सिंहदेव, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री दलेश्वर साहू
(12)	डॉ. खिलावन साहू, सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, केशव चंद्रा
(13)	श्री उमेश पटेल
(14)	श्री मोतीलाल देवांगन
(15)	सर्वश्री संतोष बाफना, संतराम नेताम
(16)	श्री देवजी भाई पटेल
(17)	श्री संतोष बाफना
(18)	श्री संतोष बाफना
(19)	श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री दलेश्वर साहू, मोतीलाल देवांगन

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

मानननीय सभापति ने सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 20.03.2015 को उन्होंने सदन में 18 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) डॉ. विमल चोपड़ा
(2) श्री संतराम नेताम
(3) श्री भैयाराम सिन्हा
(4) श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे
(5) श्री अरूण वोरा
(6) डॉ. प्रीतम राम
(7) श्री अशोक साहू
(8) श्री मोतीलाल देवांगन
(9) श्री भोलाराम साहू
(10) श्री दयालदास बघेल
(11) श्री श्रीचंद सुंदरानी
(12) श्री गोवर्धन सिंह मांझी
(13) श्री नवीन मारकण्डेय
(14) श्री देवजी भाई पटेल
(16) श्री केशव चंद्रा
(17) श्री अमित अजीत जोगी
(18) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम

4. वर्ष 2015-2016 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(1) माननीय खाद्य मंत्री के विभागों की मांगो पर पुनर्ग्रहित चर्चा में श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने भाग लिया।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा सदन को सूचित किया कि अकलतरा में कोल वाशरी के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज किया गया है। आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक इस संबंध में गृह मंत्री से वक्तव्य की अपेक्षा की।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 15, आदिम जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 33, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 42, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या 49, अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या 64, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित मांग संख्या 66, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 68, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 82, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 83 एवं स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 27 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-33 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, बघेल लखेश्वर, अमित अजीत जोगी मांग संख्या-41 पर श्री अमित अजित जोगी मांग संख्या-42 पर सर्वश्री अमित अजीत जोगी एवं अमरजीत भगत मांग संख्या-66 पर श्री धनेन्द्र साहू मांग संख्या- 27 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, भोलाराम साहू, अमित अजीत जोगी, बृहस्पत सिंह, राजेन्द्र कुमार राय, जनकराम वर्मा, दलेश्वर साहू, संतराम नेताम, श्रीमती अनिला भेंडिया एवं श्री श्यामलाल कंवर सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने पुन: सदन को घटना की जानकारी देते हुए शासन से वक्तव्य की मांग की।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि वस्तुस्थिति की जानकारी ली जायेगी।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री महेश गागड़ा, अमित अजीत जोगी,

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी,

5. वक्तव्य

अकलतरा में प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने अकलतरा में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठी चार्ज की घटना के संबंध में वक्तव्य दिया।

6. वर्ष 2015-2016 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री श्रवण मरकाम, बृहस्पत सिंह, गोवर्धन सिंह मांझी, अमरजीत भगत, (डॉ.) खिलावन साहू,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री अंबेश जांगड़े, दलेश्वर साहू, (डॉ.) विमल चोपड़ा, भोजराज नाग, केशव चंद्रा, श्रीमती सरोजनी बंजारे, (डॉ.) सनम जांगड़े, कवासी लखमा,

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने की प्रक्रिया के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

श्रीटी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

7. बहिर्गमन

श्री अमरजीत भगत, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने आदिम जाति विकास मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

8. वर्ष 2015-2016 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. अध्यक्षीय व्यवस्था

आज आदिम जाति विभाग पर चर्चा के दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से सदस्यों द्वारा बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने की प्रक्रिया के संबंध में उठाया गया।

इस संबंध में परिपाटी यह है कि जो माननीय सदस्य जिन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, उन माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों के संदर्भ में दल के सचेतक द्वारा दी गई सूची अनुसार बोलने की अनुमति प्रदान की जाती है व समय उपलब्धता अनुसार अन्य सदस्यों को।

आसंदी ने समस्त माननीय सदस्यों को उनकी भावनाओं को विचार में लेते हुए सदन द्वारा निर्धारित समय-सीमा से बाहर जाकर बोलने का अवसर दिया। सदन में समस्त सदस्यों को समान अवसर प्रदान किया जाता है तथापि नियमों, परंपराओं एवं सदन द्वारा निर्धारित समय-सीमा का आसंदी को भी पालन करना होता है।

एकाधिक अवसरों पर आसंदी को सदन की भावना के अनुरूप भी निर्णय लेने होते हैं। तद्नुसार ही मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध पर उनके पूर्व अन्य सदस्य को संक्षेप में अपनी बात रखने का अवसर दिया।

मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य आसंदी के माध्यम से ही अपनी बातें कहें और ऐसी बातें न कहें कि किसी भी सदस्य की भावना आहत हो।

मैंने माननीय सदस्य श्री कवासी लखमा द्वारा कहे असंसदीय वाक्य को विलोपित कर दिया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि सभा की कार्यवाही के संचालन में कृपया सहयोग करें।

माननीय सभापति ने यह भी व्यवस्था दी कि - सदन द्वारा अनुदान मांगों के लिये चर्चा हेतु माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिल सके। सायंकाल 7 बजे तक समय में वृद्धि की है।

आज शुक्रवार अशासकीय कार्य भी लिया जाना है अत: अशासकीय कार्य, अनुदान की मांगों पर चर्चा स्थगित होने के पश्चात् लिया जाये।

मैं समझता हूं सदन सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने कृषि से संबंधित मांग संख्या 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 14, मछलीपालन से संबंधित मांग संख्या 16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 54, जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या 23, आयाकट विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या 45, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 75, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-13 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, अमरजीत भगत, बघेल लखेश्वर, राजेन्द्र कुमार राय, दलेश्वर साहू मांग संख्या-14 सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, मांग संख्या-16 पर श्री टी.एस.सिंहदेव मांग संख्या-54 पर श्री धनेन्द्र साहू मांग संख्या-23 पर सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, राजेन्द्र कुमार राय, श्यामलाल कंवर, केशव चंद्रा मांग संख्या-40 पर श्री धनेन्द्र साहू मांग संख्या-45 पर सर्वश्री धनेन्द्र साहू, अमरजीत भगत, केशव चंद्रा मांग संख्या-51 पर श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

10. अशासकीय कार्य आगामी कार्य दिवस में लिया जाना

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने आग्रह किया कि आज के अशासकीय कार्यों को अगले कार्य दिवस के लिए नियत किया जाय।

माननीय सभापति ने सहमति व्यक्त की ।

11. वर्ष 2015-2016 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री लाभचंद बाफना,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री उमेश पटेल, राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से रात्रि 8.00 बजे तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री पारसनाथ राजवाड़े, तोखन साहू, राजेन्द्र कुमार राय, अवधेश सिंह चंदेल, संतोष उपाध्याय, रामदयाल उइके, महेश गागड़ा, बृहस्पत सिंह,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री नवीन मारकण्डेय (जारी)

रात्रि 8.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2015 (चैत्र-2, शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा